

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं./No.Au/Admn.IV/16-3/Vol.V

दिनांक /Date:09-01-2026

परिपत्र सं. / CIRCULAR No. 73

विषय/ Subject: 01.01.2026 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2025 हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा धारित अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।

Submission of Statement of Immovable Property held by Officers/Officials and their Dependents for the year 2025 as on 01.01.2026.

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली के नियम 18(1)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, समूह 'क', समूह 'ख' और समूह 'ग' (एमटीएस सहित) में शामिल किसी भी सेवा से संबंधित या किसी भी पद पर कार्यरत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करना होगा। इसमें उनके द्वारा विरासत में मिली, या उनके स्वामित्व वाली, या अर्जित की गई, अथवा उनके द्वारा पट्टे (लीज) या बंधक (मॉर्टगेज) पर रखी गई अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण देना होगा, जो चाहे उनके स्वयं के नाम पर हो या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो।

तदुसार, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ष 2025 (01.01.2026 की स्थिति के अनुसार) के लिए अपनी अचल संपत्ति विवरणी (IPR) नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत करें:

- वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों, जिनमें प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी भी शामिल हैं, को अपनी अचल संपत्ति विवरणी 'स्पैरो' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।
- समूह 'ख' और समूह 'ग' के कर्मचारी, जिनमें भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के भीतर अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारी भी शामिल हैं, अपनी अचल संपत्ति विवरणी 'ई-एचआरएमएस' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।
- भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के बाहर के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात समूह 'ख' और समूह 'ग' के कर्मचारी अपनी अचल संपत्ति विवरणी इसके साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे।

स्वयं और आश्रितों के संबंध में स्वामित्व वाली, अर्जित की गई, विरासत में मिली या पट्टे अथवा बंधक पर ली गई सभी अचल संपत्तियों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्रेणी (i) और (ii) के लिए प्रस्तुत किए गए आईपीआर (IPR) की एक मुद्रित प्रति (printed copy) और श्रेणी (iii) के लिए विधिवत भरा हुआ प्रपत्र **31.01.2026 तक ईमेल admin.ker1.au@cag.gov.in** के माध्यम से का. स्था. प्रशासन अनुभाग को भेजा जाए। इसके अतिरिक्त, श्रेणी (iii) के लिए, अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि "पिछले वर्ष के समान" या "कोई बदलाव नहीं" जैसे वाक्यांशों के उपयोग से बचा जाए और स्वयं तथा आश्रितों के लिए अलग-अलग संलग्न प्रपत्र में विरासत में मिली/स्वामित्व वाली/अर्जित की गई या पट्टे/बंधक पर रखी गई अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाए।

विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि **31.01.2026** का कड़ाई से पालन किया जाए। संपत्ति विवरणी प्रस्तुत न करना आचरण नियमावली का उल्लंघन है। ऐसी कार्रवाइयों को गंभीरता से लिया जाएगा और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

In accordance with the provisions of Rule 18(1) (ii) of the CCS (Conduct) Rules, every Government servant belonging to any service or holding any post included in Group 'A', Group 'B' and Group 'C' (including MTS) shall submit an annual return in such form as may be prescribed by the Government in this regard

giving full particulars regarding the immovable property inherited by him or owned or acquired by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person.

Accordingly, all officers and officials are hereby directed to submit their Immovable Property Return (IPR) for the year 2025 (as on 01.01.2026) as per the procedure specified below:

- i. All Senior Audit Officers, including those on deputation, shall submit their IPR online through SPARROW portal.
- ii. Group 'B' and Group 'C' officials, including those on deputation to offices within IA&AD, shall submit their IPR online through e-HRMS portal.
- iii. Group 'B' and Group 'C' officials on deputation to offices outside IA&AD shall furnish their IPR in the prescribed form attached herewith.

The complete details of all Immovable Property owned, acquired, inherited or held on lease or mortgage in respect of self and dependents should be furnished.

A printed copy of the submitted IPR for categories (i) and (ii) and the duly completed form for category (iii) should be forwarded to the OE Administration Section by **31.01.2026 through email at admin.ker1.au@cag.gov.in**. Further, for category (iii), while furnishing Immovable Property Returns, it may be ensured that usage of phrases such as "same as last year" or "no change" are avoided and full particulars of the immovable property inherited/owned/acquired or held on lease or mortgage are to be furnished in the enclosed form for **Self & Dependents** separately.

The due date for submission of the returns by **31.01.2026** should be strictly adhered to. Non-submission of property returns is a violation of Conduct Rules. Such actions will be viewed seriously, and necessary disciplinary action will be initiated.

(उप महालेखाकार/प्रशा. के दिनांक 08.01.2026 के आदेशानुसार)
(Vide orders dated 08.01.2026 of DAG/Admn)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.)
Senior Audit Officer (Admn.)

सेवा में /To,

1. सभी शाखा कार्यालय /All Branch Officers
2. सभी अनुभाग/सभी क्षेत्रीय दल /All Sections/All Field Parties
3. सूचना पट्ट /Notice Board.